//संशोधन//

जनसंपर्क संचालनालय

मध्य प्रदेश शासन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23 जून, 2016

क्रमांक ए 1-3/2016/जसंसं/स्था./ 4159 /मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा चतुर्थ वर्ग के लिये आयोजित संयुक्त चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के श्रवण बाधित आवेदकों को जनसंपर्क संचालनालय के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से भारित हेल्पर **के पद पर नियुक्तियाँ प्रदान की जाना है।**

2. इस संबंध में चयनित आवेदकों के जाति/शैक्षणिक योग्यता आदि मूल प्रमाण-पत्रों का मिलान पी.ई.बी. द्वारा भेजी गई सी.डी. में प्रविष्ट डाटाओं से किया गया।

3. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में श्रवण बाधित श्रेणी के चयनित किये गये निम्नलिखित आवेदकों को **आकस्मिकता निधि से देय हेल्पर के पद वेतनमान 4440-7440+ग्रेड पे-1300** में कलेक्टर द्वारा निश्चित वेतन पर अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर अन्य आदेश पर्यन्त कॉलम 4 में दर्शाये गये कार्यालय में पदस्थ किया जाता है :-

क्रमांक	आवेदक का नाम	वर्ग	पदस्थापना
1.	श्री पंकज नगारया, पुत्र श्री लखन लाल म. 118 बस स्टैण्ड पृथ्वीपुर, जिला टीकमगढ़	अ.जा. **(श्रवण बाधित)**	जिला जनसंपर्क कार्यालय, पन्ना
2.	श्री रमेश कलेश, पुत्र श्री मुकाम सिंह कलेश, म. 311 गोयल बिहार खजराना, जिला इंदौर	अ.ज.जा. **(श्रवण बाधित)**	संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

1. कि वे मध्यप्रदेश जनसपर्क (सूचना तथा प्रकाशन) विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्ते नियम 1979 के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थः-अवकाश नियम,पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।
2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा ।
3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि के वेतन भत्तों का भुगतान करना होगा।
4. कि राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली का प्रावधान है । सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाए जाएं और उन्हें लागू किया जाए, के अध्यधीन रहेंगे।
5. कि नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कि चरित्र सत्यापन के लिये निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदस्थापना कार्यालय के माध्यम से जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल को भेजना होगा । नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नही है, तो उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
7. कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के उपनियम(6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा।
8. कि उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेख/तथ्य असत्य पाए जाने पर तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. **कि नियुक्त किये गये कर्मचारी को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 192/1/वेआप्र/84, दिनांक 10 मई 1984 की कंडिका 06 में निहित प्रावधान के तहत प्रथम तीन साल तक कलेक्टर द्वारा संबंधित पद के लिए निर्धारित वेतन एवं उसके पश्चात् अस्थाई सदस्य मानकर मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-8/2009/नियम/चार भोपाल दिनांक 20 अगस्त,2009 में दिये गये प्रावधानों के तहत चतुर्थ श्रेणी के हेल्पर पद के लिये वेतन बेण्ड 4440-7440 में रूपये 4750/-ग्रेड-पे-1300/-निर्धारित होगा। किसी भी उद्देश्य के लिए सेवा की संगणना नियमित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से की जायेगी। अर्थात कलेक्टर दर पर व्यतीत सेवाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा।**

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ महिला आरक्षण के संबंध में राज्य शासन के प्रावधानों /आदेशों का पालन किया गया है तथा संबंधित संवर्ग के लिए निर्धारित/संधारित रोस्टर में संबंधित वर्ग के अन्तर्गत रिक्त बिन्दु पर प्रविष्टि की गई।

(अनुपम राजन)
आयुक्त, जनसंपर्क

पृ.क्रमांक ए 1-13/2016/जसंसं/स्था./ 4160 भोपाल, दिनांक 23 जून, 2016

प्रतिलिपिः-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल।
3. नियन्त्रक, मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, चयन भवन, चिनार पार्क (ईस्ट) भोपाल ।
4. स्टेनो, आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
5. समस्त अपर संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
6. संयुक्त/उप संचालक, लेखा/वित्त, जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
7. अपर/उप संचालक, संभागीय जनसंपर्क कार्यालय, इंदौर/सागर ।
8. अपर संचालक/सहायक सूचना अधिकारी, संभागीय/जिला जनसंपर्क कार्यालय इंदौर/पन्ना को सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण की तिथि से मुख्यालय को अवगत करायें एवं सम्बन्धित के सेवा अभिलेख भी तैयार करवायें ।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर/पन्ना ।
10. सहायक संचालक/अधीक्षक/कनिष्ठ लेखाधिकारी/संबंधित संहायक/स्थापना/गोपनीय कक्ष/अवकाश/लेखा (जीपीएफ,जी.आई.एस, परिवार कल्याण निधि, वेतन,बजट) जनसंपर्क संचालनालय, मुख्यालय भोपाल ।
11. श्री पंकज नगारया पुत्री श्री लखन लाल, म. 118 बस स्टैण्ड पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ की ओर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
12. श्री रमेश कलेश, पुत्र श्री मुकाम सिंह कलेश, म 311 गोयल बिहार खजराना, जिला इंदौर की ओर **रजिस्टर्ड** डाक से प्रेषित। **कृपया 15 दिवस में संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा ।**
13. स्टाक रिकार्ड।

(अनिल माथुर)
संचालक, जनसंपर्क